प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

कृषि विभाग कैम्प कार्यालय लखनऊः दिनॉंकः 18 सितम्बर, 2020

विषयः कृषकों की आय बढ़ाने हेतु फार्म गेट पर अवस्थापना सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने हेतु फार्म गेट पर अवस्थापना सृजित करने क उद्देश्य से केन्द्र पोषित कृषि अवस्थापना निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निजी/सहकारी/शासकीय क्षेत्र द्वारा विभिन्न प्रकार की कृषि अवस्थापना को विकसित करने हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट केन्द्र सरकार देगी। साथ ही साथ लघु एवं मध्यम इकाईयों को क्रेडिट गारण्टी भी उपलब्ध करायी जायगी। योजना की विस्तृत दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न है।

योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति भी बनायी गयी है। जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है। सम्बन्धित शासनादेश की प्रति भी संलग्न है। तत्क्रम में जिलाधिकारियों से निम्नलिखित अपेक्षा है-

1- जनपद स्तर पर गठित समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु रणनीति तय की जाये।

2- समिति की बैठक नियमित रूप से की जाये जिससे योजना की प्रगति का अनुश्रवण भी हो सके और उस पर आनेवाली कठिनाईयों का निराकरण भी सम्भव हो जाये।

3- अवस्थापना निधि के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर की जाये जिसमें विभिन्न व्यापारी एवं उद्योग संगठनों को भी सम्मिलित किया जाये। प्रयास किया जाये कि निजी क्षेत्र से इस सम्बन्ध में इस निधि के उपयोग हेतु अधिक से अधिक परियोजनाएं वित्त पोषण हेतु बैंकों को प्रेषित की जाये।

4- योजनाओं के अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें वित्तीय संगठनों को प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं को अपलोड किया जायेगा जिससे केन्द्र स्तर पर भी इसके अनुश्रवण हेतु इसके वित्त पोषण की समीक्षा हो सकेगी।

5- अपने अधीन सहकारी संस्थाओं, कृषि उत्पादन संगठनों एवं मण्डी परिषद इत्यादि शासकीय एजेन्सियों में भी कृषि अवस्थापना विकसित करने हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार परियोजना तैयार करते हुए वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत की जाये एवं केन्द्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाये।

आपसे अपेक्षा है कि कृपया उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए योजना के क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2020/1375(1) /12-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- 1-अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शाशन।

2-अपर मुख्य सचिव, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन।

3-प्रमुख सचिव, उद्यान, उत्तर प्रदेश शासन।

4-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5-सी0जी0एम0 नाबार्ड, उत्तर प्रदेश।

6-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 26/2020/1571/12-2-2020-1/2019

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञाप

केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अधीन केन्द्र सरकार की अवस्थापना निधि के गठन करने की घोषणा के क्रम में कृषक, कृषि उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों, उद्यमियों को कृषि से जुड़े विभिन्न अवस्थापनाओं को गठित करने को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर (प्रत्येक परियोजना पर दो करोड की सीमा तक) तीन प्रतिशत की छूट, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी, के संचालन/अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है:-

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति:-

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
8	महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
9	एन0सी0डी0सी0 के क्षेत्रीय निदेशक	सदस्य
10	कन्विनर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
11	निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	राज्य नोडल अधिकारी	सदस्य-सचिव

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति:-

1	जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी	अध्यक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	उप निदेशक, कृषि	सदस्य
4	जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	सदस्य
5	महाप्रबंधक, जिला उद्यान केन्द्र	सदस्य
6	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
7	उप निदेशक, मण्डी परिषद/सचिव, मण्डी परिषद	सदस्य
8	लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर	सदस्य
9	जिला प्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य-सचिव

आलोक सिन्हा
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 26 /2020/1571(1) /12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8 महाप्रबंधक, नाबार्ड।
9 एन0सी0डी0सी0 के क्षेत्रीय निदेशक।
10 कन्विनर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
11 निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12 राज्य नोडल अधिकारी
13 कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14 समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी, उत्तर पदेश।
15 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश
16 समस्त उप निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।
17 समस्त जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
18 समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्यान केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
19 समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20 समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद/सचिव, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
21 समस्त लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

22 समस्त जिला प्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश।
23 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
24 निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
25 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
26 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
27 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
28 रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
29 महाप्रबंधक, नाबार्ड
30 एन0सी0डी0सी0 के क्षेत्रीय निदेशक
31 कन्विनर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
32 निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
33 राज्य नोडल अधिकारी
34 कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है